श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 6 जनवरी, 1984

संख्या 11(103)-80-4 श्रम.—समानता पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 6 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित सदस्यों की एक सलाहकार समिति गठित करते हैं। इस समिति का उद्देश्य महिलाओं को सभी अनुसूचित स्थापनाओं में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है और यह समिति सरकार को यह भी सलाह देगी कि उक्त स्थापनाओं व रोजगारों में महिलाओं को किस सीमा तक सेवा के अवसर प्रदान किए जाएं। सलाह देते समय समिति सम्बन्धित स्थापनाओं व रोजगारों में कार्यरत महिलाओं की संख्या, उनके काम के स्वरूप, सेवा के लिए महिलाओं की उपयुक्तता महिलाओं के लिए रोजगार व अंशुकालिक रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता तथा ऐसे ही दूसरे सुसंगत तथ्यों को जो समिति उपयुक्त समझे, ध्यान में रखेगी :—

(1)	श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री, हरियाणा	अध्यक्ष
(2)	आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
(3)	श्रम आयुक्त, हरियाणा	सदस्य सचिव
(4)	श्री जय गोपाल शर्मा, ई-57, इन्डस्ट्रीयल एरिया, यमुनानगर	सदस्य
(5)	श्री विपिन तलवार, 188-ए, माडल टाउन, यमुनानगर	सम
(6)	श्री चानन राम, हरियाणा ट्यूबस, हिसार	सम
(7)	श्री ओ. पी. जिन्दल, जिन्दल स्ट्रिप्स, हिसार	सम
(8)	श्री अनिल जिन्दल, दिनेश स्टील ट्यूबस धारूहेडा, जिला महेन्द्रगढ़	सम
(9)	श्री दर्शन सिंह, अध्यक्ष, ए.आई.टी.यू.सी., फरीदाबाद	सम
(10)	श्री ओ. पी. सिंगला, स्टील क्राफ्ट, जी.टी.रोड, पानीपत	सम
(11)	श्री प्रेम गुप्ता, आई.एस. टी-बाचिज-देहली-गुड़गांवा रोड, गांव धारूहेड़ा, हरियाणा	सम
(12)	डा. उज्वल देवी, सी-329, डिफैन्स कालोनी, नई दिल्ली	सम
(13)	श्रीमती शकुन्तला देवी, पंचकुला	सम
(14)	श्रीमती करतार देवी, विधायक, 29/23, शिवाजी कालोनी, रोहतक	सम
(15)	श्रीमती शान्ति देवी, विधायक, करनाल	सम
(16)	श्रीमती कमलेश भन्डारी, प्रिन्सीपल, डी.ए.वी. कालेज फार गर्ल्ज, यमुनानगर	सस
(17)	श्रीमती शान्ति राठी, विधायक, नजदीक जाट कालेज, सोनीपत	सम
(18)	श्रीमती सन्धा बजाज, धर्मपत्नी श्री के. सी. बजाज, डिस्ट्रक्ट बार, जिला हिसार	सम
(19)	श्रीमती नर्गिस बत्रा, मुख्या अध्यापिका, श्री गुरुनानक खालसा हाई स्कूल, जगाधरी वर्कशाप, जिला अम्बाला	सम

2. सलाहकार समिति का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. सलाहकार ससिति का मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा लेकिन यह अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर हरियाणा राज्य के किसी भी अन्य स्थान पर आयोजित कर सकती है।

4. बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 705-पी.ओ.एल.(4)-72/9855, दिनांक 6 अप्रैल, 1972 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5. समिति का व्यय "287—श्रम तथा रोजगार (श्रम) नान-प्लैन" के बजट शीर्ष के नाम में डाला जायेगा और यह व्यय विभाग के लिए स्वीकृत बजट में से वहन किया जायेगा।

6. उप श्रम आयुक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों के नियन्त्रण अधिकारी होंगे।

(हस्ताक्षर) . . .,
अवर सचिव, श्रम,
कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।